

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-III/2017/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैण्ड	ग्रेड पे
1.	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, जयपुर।	23.09.1998	18 वर्ष	23.09.2016	9300-34800	3600
2.	श्री छीतर लाल मीणा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, भीलवाडा।	26.09.1998	18 वर्ष	26.09.2016	9300-34800	3600
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, लिपिक ग्रेड-प्रथम, अलवर	12.10.1989	27 वर्ष	12.10.2016	9300-34800	4200
4.	श्री अमर सिंह, चौहान, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, अलवर।	03.10.1998	18 वर्ष	03.10.2016	9300-34800	3600
5.	श्री अनुपम भण्डारी, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, चित्तौडगढ।	07.05.1999	18 वर्ष	07.05.2017	9300-34800	3600
6.	श्री टीकम सिंह कुशवाह, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, धौलपुर।	21.03.1996	18 वर्ष	21.03.2014	9300-34800	3600
7.	श्री कैलाश चन्द डाडैया, लिपिक ग्रेड-प्रथम, सीकर।	18.11.1998	18 वर्ष	18.11.2016	9300-34800	3600
8.	श्री सोहन सिंह भागरोत, लिपिक ग्रेड-प्रथम, चित्तौडगढ।	31.01.1989	27 वर्ष	31.01.2016	9300-34800	4200

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

81  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक : 10/08/12

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-III/2017/1731

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ/अलवर/जयपुर-प्रथम/भीलवाडा/सीकर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि श्री टीकम चन्द कुशवाह, लिपिक ग्रेड-द्वितीय का 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 21.03.2014 को देय हो गया था फिर किन कारणों से विलम्ब से भिजवाया गया।
- अति. मुख्य चिकि. एवं स्वां. अधिकारी, (प.क.) सीकर
- उप मुख्य चि. एवं स्वा0 अधिकारी, (प.क.) जयपुर-प्रथम।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ।
- सहायक औषधि नियंत्रक, चित्तौडगढ।
- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, जहाजपुर, भीलवाडा/हरसोली, अलवर/
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ, अलवर/बाडी, धौलपुर।
- संबन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर